8-चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अध्यापक सेवा नियमावली, 2000 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन- 2003, द्वितीय संशोधन- 2011, तृतीय संशोधन- 2016, चतुर्थ संशोधन- 2022), पत्र संख्या- 5563/दि0ज0स0वि0/अधि0 शिक्षक/2023-24, दिनांक-15-01-2024 एवं पत्र संख्या- 5691/दि0ज0स0 वि0/अधि0शिक्षक/2023-24, दिनांक- 23-01-2024 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के पत्र संख्या-487/47-का-3-2025 दिनांक-07.08.2025 के अनुसार किया जायेगा। जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

प्रथम चरण (लिखित परीक्षा)

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	(1) दिव्यांगता का परिचय	25	25	120 मिनट (दो घण्टा)
	(2) बाल विकास एवं अधिगम	20	20	
	(3) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016	20	20	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में	15	15	

	समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान			
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
	योग	100	100	

नोट- उपर्युक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

पाठ्यक्रम
भाग-1
(विषयगत ज्ञान)

इकाई-1 दिव्यांगताओं का परिचय

1- दिव्यांगताओं का परिचय

(1) दिव्यांगता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य- राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर तथा दिव्यांगता के मॉडल
(2) अवधारणा, अर्थ और परिभाषा-अपंगता, अंग-हानि, दिव्यांगता, गतिविधि सीमितता, प्रारम्भिक दक्षता विकास और पुनर्वास
(3) परिभाषा, श्रेणियाँ (बेंचमार्क दिव्यांगताएँ) और भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विधिक प्रावधान
(4) दिव्यांगता के कारण, रोकथाम, प्रसार एवं जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल का अवलोकन: राष्ट्रीय और वैश्विक
(5) क्रॉस दिव्यांगता दृष्टिकोण और हस्तक्षेप की अवधारणा, अर्थ और महत्त्व

2- दिव्यांगता की परिभाषा, कारण और रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन

(1) गतिविषयक् दिव्यांगता-पोलियोमाइलाइटिस, प्रमस्तिष्क घात/पेशीय दुष्पोषण
(2) दृष्टिगत ह्रास-अंधता और निम्न दृष्टि
(3) श्रवण शक्ति का ह्रास-बधिरता और ऊंचा सुनाई देना
(4) वाक् और भाषा दिव्यांगता
(5) बधिर-नेत्रहीनता और बहु दिव्यांगता

3- परिभाषा, कारण और रोकथाम, प्रकार, शैक्षिक निहितार्थ और प्रबंधन

(1) बौद्धिक दिव्यांगता
(2) विर्निदिष्ट विद्या दिव्यांगताएँ
(3) स्वपरायणता स्पेक्ट्रम विकार
(4) मानसिक रूग्णता, बहु-दिव्यांगता
(5) दीर्घकालिक तंत्रिका दशाएं और रक्त विकृति

4- प्रारम्भिक पहचान और हस्तक्षेप

(1) दिव्यांगताओं तथा दोहरे अपवाद बच्चों की प्रारम्भिक पहचान और हस्तक्षेप की अवधारणा, आवश्यकता और महत्त्व
(2) क्रॉस दिव्यांगता प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का आयोजन
(3) दिव्यांगताओं और दोहरे अपवाद बच्चों की स्क्रीनिंग और मूल्यांकन
(4) प्रारम्भिक हस्तक्षेप में अभिभावकों, समुदाय, ECEC और अन्य हितधारकों की RPwD-2016 और NEP 2020 के अनुक्रम में भूमिका
(5) प्रारंभिक हस्तक्षेप के मॉडल- (गृह-आधारित, केंद्र-आधारित, अस्पताल-आधारित, संयोजन) घर से स्कूल तक संक्रमण के संदर्भ में।

5- दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन

(1) दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास-वर्तमान स्थिति, आवश्यकताएँ, मुद्दे और नैतिक ढांचे के भीतर काम करने का महत्त्व
(2) दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय निकायों (International Disability Alliance (IDA), UNESCO, UNICEP, UNDP, WHO) की भूमिका
(3) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और नीतियाँ जैसे- UNCRPD, MDGs और SDGs

(4) दिव्यांगता पुनर्वास सेवाओं में राष्ट्रीय संस्थानों (AYJNISLD, ISLRTC, NIEPID, NIEPMD, NIEPVD, NILD, NIMHR, PDUNIPPD, SVNIRTAR) की भूमिका

(5) दिव्यांगता समावेशी सेवाओं और विकास कार्यक्रमों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) की भूमिका

इकाई-2 बाल विकास और अधिगम

1- वृद्धि और विकास

(1) वृद्धि और विकास की परिभाषा और अर्थ

(2) विकास को प्रभावित करने वाले सिद्धांत और कारक

(3) प्रकृति बनाम पालन-पोषण

(4) विकास के क्षेत्र: शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और भाषा

(5) विकासात्मक मील के पत्थर और विचलन तथा प्रतिभा की पहचान

2- विकास के आयु और चरण (जन्म से बचपन तक)

(1) गर्भकाल (गर्भाधान से जन्म तक)

(2) शैशव (जन्म से 2 वर्ष)

(3) किशोरावस्था (2 से 4 वर्ष)

(4) प्रारंभिक बचपन (7 वर्ष तक)

(5) उत्तर-प्रारंभिक बचपन (7 से 14 वर्ष)

3- मनोविज्ञान और अधिगम

(1) शैक्षिक मनोविज्ञान: शिक्षकों के लिए प्रासंगिकता और दायरा

(2) थॉर्नडाइक, पैवलॉव, स्किनर, बंदुरा, पियाजे और वायगोत्स्की द्वारा दिए गए अधिगम के बुनियादी सिद्धांत

(3) अधिगम शैलियाँ और विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी

(4) अधिगम को प्रभावित करने वाले सामाजिक-सांस्कृतिक कारक

(5) विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए परिणाम

4- मानसिक प्रक्रियाएँ और विभिन्न विकलांगताओं वाले बच्चों के लिए उनके परिणाम

(1) ध्यान; अवधारणा और कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक

(2) धारणा; अवधारणा और धारणा को प्रभावित करने वाले कारक

(3) स्मृति; प्रकार और बच्चों की स्मृति को बढ़ाने की रणनीतियाँ

(4) बुद्धिमत्ता; परिभाषा, अर्थ और IQ का सांकेतिक भाषा महत्व, गार्डनर का बहु-बुद्धिमत्ता सिद्धांत

(5) प्रेरणा; आंतरिक, बाहरी और प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक

5- कक्षा प्रबंधन

(1) प्रेरक अधिगम वातावरण: शारीरिक और भावनात्मक

(2) बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएँ

(3) व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण

(4) व्यवहार प्रबंधन तकनीकें: संज्ञानात्मक और व्यवहारिक

(5) समावेशी और विशेष कक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के व्यवहार को संशोधित करना

इकाई-3 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

(1) अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य

(2) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का सामान्य परिचय

(3) शिक्षा में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका

(4) अधिनियम और प्रावधान: मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (अनुच्छेद 21A, 2002) और RTE अधिनियम 2009 और संशोधन: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में निहित शैक्षिक प्रावधान

(5) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020

(6) उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 एवं इसके निहितार्थ

(7) दिव्यांगजन के मुख्य आयुक्त का कार्यालय एवं राज्य आयुक्त कार्यालय की भूमिका और कार्यप्रणाली

(8) विशेष विद्यालयों और समावेशी विद्यालयों का आयोजन

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
  - ✓ हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
  - ✓ इनपुट एवं आउटपुट।
  - ✓ इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आई0पी0 एड्रेस।
  - ✓ आई0टी0 गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
  - ✓ ई-मेल आई0डी0 को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
  - ✓ प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
  - ✓ वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं ऐक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्व।
  - ✓ ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस ।
- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

भाग-3

(उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी)

प्रश्न पत्र के इस भाग से अभ्यर्थियों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन तथा समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे।

द्वितीय चरण (अर्हकारी परीक्षा)

लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अगले चरण हेतु शॉर्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों की पद की अर्हता के अनुसार सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि में दक्षता परीक्षण हेतु द्वितीय चरण में यथास्थिति सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि दक्षता परीक्षा आयोजित की जायेगी, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी। जिन पदों पर चयन हेतु पद की अर्हता में सांकेतिक भाषा/ब्रेल लिपि के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उन पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन की अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि के लिए दक्षता परीक्षण प्रक्रिया

सांकेतिक भाषा में दक्षता परीक्षण

अभ्यर्थी की सांकेतिक भाषा दक्षता का परीक्षण करने के लिए परीक्षण को मुख्य रूप से 2 घटकों में विभाजित किया गया है-

1- पाठ से सांकेतिक भाषा में रूपांतरण

2- सांकेतिक भाषा से पाठ में रूपांतरण

1- पाठ से सांकेतिक भाषा में रूपांतरण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की पाठ को पढ़ने की सटीकता (Accuracy) का परीक्षण करना और उसके अनुसार उपयुक्त सांकेतिक रुपान्तरण बनाना है। इस परीक्षण में 20 से अधिक कार्यात्मक (Functional/सामान्य कार्य व्यवहार में आने वाले) शब्द होंगे।

(क) पाठ की भाषा: पाठ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) **परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड:** इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षण में न्यूनतम 10 कार्यात्मक (Functional/सामान्य कार्य व्यवहार में आने वाले) शब्दों का सटीक रुपांतरण करना होगा।

(ग) **समय सारिणी:** अभ्यर्थियों को पाठ को पढ़ने तथा उसका सांकेतिक रुपान्तरण बनाने हेतु 8 मिनट का समय दिया जायेगा।

2- सांकेतिक भाषा से पाठ में रूपांतरण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की सांकेतिक भाषाओं को पाठ में बदलने की क्षमता का परीक्षण करना है ताकि विभिन्न स्थितियों में भाषा और सांकेतिक भाषा को समझने की क्षमता की जाँच की जा सके। इस परीक्षण वीडियो में सांकेतिक भाषा के 20 से अधिक कार्यात्मक (Functional/सामान्य कार्य व्यवहार में आने वाले) शब्द होंगे।

(क) **पाठ की भाषा:** पाठ केवल अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा।

(ख) **परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड:** अभ्यर्थियों को इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए परीक्षण में न्यूनतम 10 कार्यात्मक शब्दों का सटीक रुपांतरण करना होगा।

(ग) **समय सारिणी:** अभ्यर्थियों को सांकेतिक भाषा का वीडियो देखने तथा उसे पाठ में रुपान्तरण हेतु 8 मिनट का समय दिया जायेगा।

ब्रेल लिपि योग्यता कौशल में पात्रता परीक्षण

इस परीक्षण को मुख्य रूप से अभ्यर्थी के ब्रेल लिपि में दक्षता का परीक्षण करने के लिए 2 घटकों में विभाजित किया गया है-

1- पाठ से ब्रेल लिपि लेखन परीक्षण

2- ब्रेल लिपि से पाठ लेखन परीक्षण

1- पाठ से ब्रेल लिपि लेखन परीक्षण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी द्वारा लिखे गए पाठ की सटीकता (Accuracy) का परीक्षण करना और उसके अनुसार उपयुक्त ब्रेल लिपि में लिखना है। परीक्षण का विवरण इस प्रकार है-

(क) **पाठ की लंबाई:** दिए गए पाठ की लंबाई हिंदी भाषा में 150-200 शब्दों की होगी।

(ख) **समय सारिणी:** अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

(ग) **परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड:** अभ्यर्थी को इस परीक्षण को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 60 शब्दों के साथ ब्रेल लिपि में सटीक रूप से लिखना होगा।

2- ब्रेल लिपि से पाठ लेखन परीक्षण

इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य अभ्यर्थी की ब्रेल लिपि पाठ को कुशलता से पढ़ कर उसे हिन्दी भाषा में समझने की क्षमता का सटीक परीक्षण करना है।

(क) **ब्रेल लिपि पाठ की लंबाई:** इसके लिए दिए गए पाठ की कुल लंबाई हिंदी भाषा में 80-100 शब्दों की होगी।

(ख) **ब्रेल लिपि पाठ का रूपांतरण:** अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये गये पाठ को पढ़कर पाठ के ठीक नीचे दिए गए स्थानों में इसे हिंदी (देवनागरी लिपि) में लिखना होगा।

दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों (यदि कोई हो) को दिए गए ब्रेल पाठ को पढ़कर इस प्रयोजन हेतु प्रदत्त अलग शीट पर ब्रेल लिपि में लिखना होगा।

(ग) **समय सारिणी:** अभ्यर्थियों को इस परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा।

(घ) **परीक्षण के लिए योग्यता मानदंड:** अभ्यर्थी को इस परीक्षण को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40 शब्दों के साथ ब्रेल लिपि पाठ को सटीक रूप से पढ़कर लिखना होगा।

Examination Plan and syllabus for selection on vacant posts of direct recruitment of Teacher Cadre

First Stage (Written Exam)

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of

negative marking for each wrong answer for the examination, which will be 25 percent i.e. ¼ of the marks prescribed for that question.

Examination Plan

The parts of examination, subject, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	(1) Introduction to Disability	25	25	120 Minutes (Two Hours)
	(2) Child development and learning	20	20	
	(3) Rights of Persons with Disabilities Act, 2016	20	20	
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and contemporary technological development and innovation in this field	15	15	
Part-3	General information related to the state of Uttar Pradesh	20	20	
	Total	**100**	**100**	

Note- There is a provision of negative marking for each wrong answer for the above examination, which will be ¼ i.e. 25 percent of marks prescribed for that question.

Syllabus

Part-1

(Subject related Knowledge)

Section-1 Introduction to Disabilities

1- Introduction to Disabilities

(1) Historical perspectives of Disability - National and International & Models of Disability
(2) Concept, Meaning and Definition - Handicap, Impairment, Disability, Activity Limitation, Habilitation and Rehabilitation
(3) Definition, categories (Benchmark Disabilities) & the legal provisions for PWDs in India
(4) An overview of causes, prevention, prevalence & demographic profile of disability: National and Global
(5) Concept, meaning and importance of Cross Disability Approach and Interventions

2- Definition, Causes & Prevention, Types, Educational Implication and Management of Disabilities

(1) Loco Motor Disability - Poliomyelitis, Cerebral Palsy/Muscular Dystrophy
(2) Visual Impairment - Blindness and Low Vision
(3) Hearing Impairment - Deafness and Hard of Hearing
(4) Speech and Language Disorder
(5) Deaf - Blindness and Multiple Disabilities

3- Definition, Causes & Preventive measures, Types, Educational Implications and Management

(1) Intellectual Disability
(2) Specific Learning Disabilities
(3) Autism Spectrum Disorder
(4) Mental Illness, Multiple Disabilities
(5) Chronic Neurological conditions and Blood Disorders

4- Early Identification and Intervention

(1) Concept, need, importance and domains of early identification and intervention of disabilities and twice exceptional children
(2) Organizing Cross Disability Early Intervention services
(3) Screening and assessments of disabilities and twice exceptional children
(4) Role of parents, community, ECEC and other stakeholders in early intervention as per RPwD- 2016 and NEP 2020
(5) Models of early intervention- (home-based, centre-based, hospital-based, combination) with reference to transition from home to school

5- Human Resource in Disability Sector

(1) Human resource development in disability sector - Current status, needs, issues and the importance of working within an ethical framework
(2) Role of international bodies (International Disability Alliance (IDA) UNESCO, UNICEF UNDP, WHO) in Disability Rehabilitation Services
(3) International conventions and Policies such as UNCRPD, MDGs and SDGs
(4) Role of National Institutes (AYJNISLD, ISLRTC, NIEPID, NIEPMD, NIEPVD, NILD, NIMHR, PDUNIPPD, SVNIRTAR) in Disability Rehabilitation Services
(5) Role of Information and Communication Technology (ICT) in disability inclusive services and development programmes

Section-2 Child Development and Learning

1- Growth and Development

(1) Definition and meaning of growth and development
(2) Principles and factors affecting development
(3) Nature vs Nurture
(4) Domains of development: Physical, social, emotional, cognitive, moral and language
(5) Developmental milestones and identifying deviations and giftedness

2- Ages and stages of development (Birth to Childhood)

(1) Prenatal (conception to birth)
(2) Infancy (Birth to 2 year)
(3) Toddler (2 to 4 years)
(4) Early childhood (Up to 7 years)
(5) Late childhood (7 to 14 years)

3- Psychology and Learning

(1) Educational Psychology: relevance and scope for educators
(2) Basic principles of learning given by Thorndike, Pavlov, Skinner, Bandura, Piaget and Vygotsky
(3) Learning styles and types of learners
(4) Socio-cultural factors affecting learning
(5) Implications for children with special needs

4- Psychological processes and their implications for Children with different Disabilities

(1) Attention; concept and factors affecting attention in classroom
(2) Perception; concept and factors affecting perception
(3) Memory; types and strategies to enhance memory of children
(4) Intelligence; definition, meaning and sign language significance of IQ, Gardner's theory of Multiple Intelligences
(5) Motivation; intrinsic, extrinsic and factors affecting motivation

5- Classroom Management

(1) Stimulating learning environment: physical and emotional
(2) Common behaviour problems in children
(3) Functional analysis of behaviour
(4) Behaviour management techniques: Cognitive and Behavioural
(5) Modifying behaviours of children with special needs in inclusive and special classroom

Section-3 Rights and Provisions for Persons with Disabilities

(1) Meaning, definition and aims
(2) General Introduction of RPwD Act, 2016
(3) Role of Government and Non-Govt agencies in education
(4) Acts and Provisions: Free and compulsory education as fundamental rights article 21A of 2002) and RTE Act 2009 and Amendments: Educational provisions enshrined in RPWD Act, 2016
(5) National Education Policy (NEP) 2020
(6) The Uttar Pradesh Rights of Persons with Disabilities Rules 2017 and its implications
(7) Role of office of the Chief Commissioner of Disabilities and State Commissioner Offices and their functioning
(8) Organization of Special School and Inclusive School

Part-2

(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
  - ✓ Hardware and Software
  - ✓ Input and Output
  - ✓ Internet Protocol/IP Address
  - ✓ IT gadgets and their application
  - ✓ Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail
  - ✓ Operation of Printer, Tablet and Mobile
  - ✓ Important elements of Word Processing (MS-word) and Excel Processing (MS-Excel)
  - ✓ Operating System, Social Networking, e-Governance
- Digital Financial Tools and Applications
- Future Skills and Cyber Security

- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

Part-3

(General Information related to The State of Uttar Pradesh)

In this part of the question paper, questions based on History, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dance, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forest, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration of Uttar Pradesh and Current Events and Achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc. will be asked from the candidates.

Second Stage (Qualifying Exam)

In the second stage, as per the eligibility criteria of the post, candidates shortlisted for the next stage of the selection process on the basis of marks in the written examination will be required to undergo Sign Language and Braille Script Proficiency Test, which will be of qualifying nature. For those posts where knowledge of Sign Language/Braille Script is not required in the eligibility criteria, further selection process will be conducted on the basis of written examination only.

Skill Test Procedure for Sign Language and Braille Script

Eligibility Test in Sign Language

The test is mainly divided into 2 components to test the sign language proficiency of the candidate-

1- **Text to Sign Language Conversion**
2- **Sign Language to Text Conversion**

1- Text to Sign Language Conversion

The main purpose of this test is to test the candidate's reading accuracy of the text and make appropriate code translations accordingly. This test will contain more than 20 Functional words.

The main objective of this test is to test the candidate's accuracy to read text and make the appropriate Sign Language accordingly. There will be more than 20 Functional words in this test.

(a) **Language of the text:** The text will be made available in the English language.

(b) **Qualifying criteria for the test:** To qualify this test, candidates must accurately convert a minimum of 10 Functional words in the test.

(c) **Time Schedule:** Candidates will be given 8 minutes to read the text and make its sign.

2- Sign Language to Text Conversion

The main objective of this test is to test the candidate's ability to convert sign languages to text in order to check the ability to use the language and understand sign language in different situations. This test video will contain more than 20 Functional words of sign language.

(a) **Language of the text:** The text will be provided in English language only.

(b) **Qualifying criteria for the test:** Candidates must accurately convert a minimum of 10 Functional words in the test to qualify this test.

(c) Time Schedule: Candidates will be given 8 minutes to watch the sign language video and convert it into text.

Eligibility Test in Braille Script Competency Skills

This test is mainly divided into 2 components to test the candidate's proficiency in Braille script-

1- Text to Braille Script Writing Test

2- Braille Script to Text Writing Test

1- Text to Braille Script Writing Test

The main objective of this test is to test the accuracy of the text written by the candidate and to write it in the appropriate Braille script accordingly. The details of the test are as follows-

(a) Length of text: The length of the text given will be 150-200 words in Hindi language.

(b) Time schedule: Candidates will be given 10 minutes time for this test.

(c) Eligibility criteria for the test: The candidate must write accurately in Braille script with a minimum of 60 words to qualify this test.

2- Braille Script to Text Writing Test

The main objective of this test is to accurately test the candidate's ability to read Braille text efficiently and understand it in Hindi language.

(a) Length of the Braille Script text: For this, the total length of the given text will be 80-100 words in Hindi language.

(b) Conversion of the Braille Script Text: Candidates are required to read the text provided and write it in Hindi (Devanagari Script) in the spaces provided just below the text.

Visually impaired candidates (if any) will have to read the Braille text provided and write it in Braille on a separate sheet provided for the purpose.

(c) Time Schedule: Candidates will be given 10 minutes time for this test.

(d) Qualifying criteria for the test: The candidate must be able to read and write Braille text accurately with a minimum of 40 words to qualify this test.

नोट:- प्रथम चरण की लिखित परीक्षा के उपरान्त द्वितीय चरण की अर्हकारी परीक्षा के आयोजन हेतु आयोग द्वारा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से विचार-विमर्श कर विशेषज्ञ परीक्षक/विशेषज्ञ सरकारी संस्था का निर्धारण किया जायेगा। तदनुसार आयोग द्वारा द्वितीय चरण की अर्हकारी परीक्षा आयोजित की जायेगी।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2026, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय (शिक्षक संवर्ग) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/04 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।